

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र अवधार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय को बाल से ही किया जावे त
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम नहीं।
उन्नति विषय पर यह पूर्ण में पत्र
अवधार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सविष्ठा हो।



ग्राम : शूलीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4911

दिनांक: 17/05/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध कलार्कशन इंस्टीट्यूट, घनेली तिराहा, बड़ागांव, ग्वालियर (0751-2232830) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए. प्रथम वर्ष, बी.सी.ए. प्रथम वर्ष, बी.कॉम. प्रथम वर्ष- अनिवार्य विषय (कम्प्यूटर एल्पी. आति. विषय) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्त्याची सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये मानवाधीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

1. प्रो. डी.ए. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442842)

2. डॉ. ए.के. शर्मा, आचार्य, शा. एम.एल.बी. कॉलेज, ग्वालियर।

3. डॉ. योगेश उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, मैनेजरेंट अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुमोदन है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, गांधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिवेट तथा पिछो से सत्र में ही गई शर्तों की पूर्ति या प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण कराएं। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उत्तर विधीनित समय में निरीक्षण कराएं एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भाग्यपाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बढ़ी करता है तो समिति स्वयं विसर्त हो जायेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड खर्च रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अशैक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जारी तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायें। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / बी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देव देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संवंचित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सरनुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के जिसी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)